

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय शर्मा आर. ए. एस.  
दावा तारीख रजू 08.12.2006  
1/304 उनवान

तारीख निर्णय  
31.01.2017

4. अशोक कुमार पुत्र श्री सन्तलाल जाति खत्री निवासी मालपुर तहसील रामगढ हाल निवासी रामगढ जिला अलवर (राज0)।
5. जयचारायण पुत्र श्री सन्तलाल जाति खत्री निवासी मालपुर तहसील रामगढ हाल निवासी रामगढ जिला अलवर (राज0)।
6. श्रीमती हुकमी देवी पत्नी श्री सन्तलाल जाति खत्री निवासी मालपुर तहसील रामगढ हाल निवासी रामगढ जिला अलवर (राज0) वादीगण बनाम
8. भगवत प्रसाद पुत्र स्व0 श्री जयसिंह जाति खत्री निवासी नौगावां तहसील रामगढ ।
9. कृष्णलाल पुत्र स्व0 श्री जयसिंह निवासी नौगावां तहसील रामगढ ।
10. सतपाल पुत्र स्व0 श्री जयसिंह निवासी नौगावां तहसील रामगढ ।
11. सतीश कुमार पुत्र स्व0 श्री जयसिंह निवासी नौगावां तहसील रामगढ ।
12. करतारी बाई बेवा स्व0 श्री जयसिंह निवासी नौगावां तहसील रामगढ ।
13. सरोज पत्नी श्री .....पुत्री स्व0 श्री जयसिंह निवासी
14. जगतारसिंह उर्फ जगदीश पुत्र स्व0 श्री हीराराम जाति खत्री निवासी ग्राम नौगावां तहसील रामगढ जिला अलवर। प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

उपस्थित अभिभाषकगण :-

1. श्री जगदीशचन्द सतीजा एडवोकेट - वादीगण  
पर्चा डिक्री

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि हाल खसरा नम्बर 739 रकबा 0.27 हैक्ट0, 754 रकबा 0.41 हैक्ट0 वाके ग्राम मालपुर तहसील रामगढ का वादी सं0 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा आराजी खसरा नम्बर 806 रकबा 0.47 हैक्ट0 का वादी सं0 3 को खातेदार काश्तकार घोषित करने हेतु तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता कि उपरोक्त आराजी से वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत न करें तथा हाल राजस्व रिकार्ड के आधार पर विवादित आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहन, बैय इत्यादि न करे वो मौके वो रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 31.01.2017 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी  
रामगढ (अलवर)

प्रमाणित (आधीप्रति)

सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक)  
रामगढ (अलवर) राज0